<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

16.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय जांच इकाई ने लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) और अन्य के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में 14.07.2026 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रविशंकर तिवारी @रवि तिवारी को गिरफ्तार किया है। उसे 15.07.2026 को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश - 07, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली की अदालत के समक्ष पेश किया गया और माननीय अदालत ने उसे 10 दिनों के लिए ई.डी. की हिरासत में भेज दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी (एल.यू.सी.सी.), लस्टिनेस जनहित क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एल.जे.सी.सी.) और ऑप्शन वन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ उत्तर प्रदेश के ललितपुर और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दर्ज कई एफ.आई.आर. के आधार पर जांच शुरू की। इन कंपनियों ने जनता के सदस्यों को उच्च प्रतिफल का वादा करके जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और निवेश की गई राशि का दुरुपयोग किया गया। देश भर के विभिन्न राज्यों में इन संस्थाओं और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह अन्य आपराधिक अपराधों के अलावा, निवेश किए गए धन की धोखाधड़ी और गबन का मामला है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर संचालित उपरोक्त संस्थाओं द्वारा 30.51 लाख से अधिक निवेशकों के लगभग 10,314 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि शामिल है।

ईडी की जांच में पता चला है कि रविशंकर तिवारी 2009 से समीर अग्रवाल के नेतृत्व वाले सागा ग्रुप नेटवर्क से सीनियर फंक्शनरी के रूप में जुड़े हुए हैं। वह एडवांटेज ट्रेडकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन वन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एलयूसीसी और अन्य सागा ग्रुप की संस्थाओं के टीम लीडर भी थे और समीर अग्रवाल (वर्तमान में विदेश में स्थित) को एलयूसीसी और एलजेसीसी के संचालन में सक्रिय रूप से सहायता करते थे। पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए उनके बयानों से अपराध करने में उनकी संलिप्तता और उक्त सागा ग्रुप संस्थाओं में उनकी भूमिका का पता चला। जांच में आगे पता चला कि रविशंकर तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों को सागा ग्रुप संस्थाओं से विभिन्न बैंक खातों में भारी जमा राशि प्राप्त हुई, जिसके लिए वह कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

जांच में यह भी पता चला कि रविशंकर तिवारी की कई संस्थाओं में रुचि थी, जिनका इस्तेमाल अपराध से प्राप्त आय की प्राप्ति, रूटिंग और निकासी के लिए किया गया था। उन्होंने अपराध से प्राप्त आय से अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां भी अर्जित की थीं। इससे पहले इस मामले में ईडी द्वारा अचल संपत्ति के रूप में कुर्की की गई थी।

आगे की जांच जारी है।